

—:: कार्यालय वनमंडलाधिकारी कवर्धा वनमंडल कवर्धा (छ.ग.) ::—

E-mail : dfokabirdham@gmail.com

Tel No.: 232230

क्रमांक / तक.अधि. / 2723

कवर्धा, दिनांक :- 29 / 11 / 2023

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक
दुर्ग वृत्त दुर्ग

- विषय :-** कवर्धा जिले के कवर्धा वनमंडल, अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत वनभूमि के गेर वानिकी उपयोग हेतु Telesonic Network Limited द्वारा 4G OFC Cable Line Dhawaipani to Banjari Village in Bhoramdev Wildlife Sanctuary Kawardha हेतु क्षेत्रफल 0.719 हे. पंजीयन क्र. (FP/CG/OFC/154844/2022) बाबत।
- संदर्भ :-** अपर मुख्य वन संरक्षक(भू-प्रबंध/व.सं.अ.) छ0ग0रायपुर के पत्र क्र./भू-प्रबंध/विविध-ए/115-936/2575 दिनांक 21.11.2023 ।



निवेदन है कि उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के संबंध में निम्न बिन्दुओं के आधार पर लगायी गई आपत्तियों का निराकरण कर आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित है :-

बिंदु क्र.	आपत्ति का विवरण	आपत्तियों का निराकरण
1	प्रस्तावित प्रकरण भोरमदेव अभ्यारण्य क्षेत्र अंतर्गत होने के कारण प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) से अभिमत नहीं लिया गया है।	प्रस्तावित प्रकरण भोरमदेव अभ्यारण्य क्षेत्र अंतर्गत होने के कारण अभिमत प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) से लिये जाने हेतु प्रस्ताव मुख्य वनसंरक्षक दुर्ग वृत्त दुर्ग के द्वारा मुख्य वनसंरक्षक (वन्यप्राणी) एवं क्षेत्र संचालक उदंती-सीतानदी टायगर रिजर्व छ0ग0 के माध्यम से प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यप्राणी)रायपुर को प्रेषित किया जावेगा।
2	Form - A (Part-II) के बिन्दु क्रमांक-5 में वन की वैधानिक स्थिति वनमंडल कवर्धा द्वारा राजस्व वन भूमि लेख किया गया है परंतु प्रकरण में राजस्व वन भूमि शामिल नहीं है। भाग-2 सुधार कर पुनः अपलोड कराया जाना होगा।	Form - A (Part-II) के बिन्दु क्रमांक-5 में वन की वैधानिक स्थिति वनमंडल कवर्धा द्वारा राजस्व वनभूमि लेख किया गया है, परंतु प्रकरण में राजस्व वन भूमि शामिल नहीं है। अतः जिसे भाग-2 में सुधार कर पुनः ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है।
3	Form - A (Part-II) के बिन्दु क्रमांक-6 में हरियाली का घनत्व भी निरंक लेख किया गया है, जबकि ऑनलाईन में 0.5 घनत्व दिखा रहा है। इस हेतु सुधार आवश्यक है।	Form - A (Part-II) के बिन्दु क्र. -6 में हरियाली का घनत्व निरंक बताया गया था जिसे सुधार कर 0.5 घनत्व कर लिया गया है। जिसे ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है।
4	बिन्दु क्रमांक-4 में प्रतिपूरक वनीकरण की जानकारी आवश्यक नहीं होने का लेख है, चूंकि प्रकरण वन्यप्राणी क्षेत्र अंतर्गत है, जिस हेतु प्रतिपूरक वनीकरण आवश्यक है। सुधार करें।	बिन्दु क्रमांक-4 में प्रतिपूरक वनीकरण की जानकारी आवश्यक नहीं होने का लेख है, चूंकि प्रकरण वन्यप्राणी क्षेत्र अंतर्गत है, जिस हेतु प्रतिपूरक वनीकरण आवश्यक है। सुधार कर ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है।

5	प्रपत्र-4 के बिन्दु क्रमांक (vii) में रोजगार का सृजन निरंक लेख किया गया है, परंतु रोजगार विवरण आवेदन फार्म आवेदक द्वारा दिया गया है। प्रपत्र-4 सुधार कर पुनः अपलोड कराया जावे।	प्रपत्र-4 के बिन्दु क्रमांक (vii) में रोजगार का सृजन निरंक लेख किया गया था जिसे रोजगार का सृजन-आवश्यकतानुसार। सुधार कर ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है।
---	--	---

उपरोक्तानुसार लगायी गई आत्तियों का निराकरण कर पुनः प्रस्ताव भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के वेब साइट में parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है। उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अनुरूप समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण कर अनुशंसा सहित प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव 04 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

सहपत्र :- प्रस्ताव 04 प्रतियों में

वनमंडलाधिकारी
कवर्धा वनमंडल, कवर्धा

कवर्धा, दिनांक :- 29/11/2023

पृ.क्र./तक.अधि./.....2724

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य वन संरक्षक(भू-प्रबंध/व.सं.अ.) छ0ग0रायपुर आपका पत्र क्र./भू-प्रबंध/विविध-ए/115-936/2575 दिनांक 21.11.2023 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।
2. मुख्य वनसंरक्षक (वन्यप्राणी) एवं क्षेत्र संचालक उदंती-सीतानदी टायगर रिजर्व छ0ग0रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रषित।
3. Telesonic Networks Limited.3rd & 4th Floor, Scheme No. 54, A.B. Road, Metro Towers, Near Vijay Nagar Square, Indor (MP) 452010 की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
कवर्धा वनमण्डल कवर्धा

FORM -IV

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकरणों द्वारा भेजे प्रस्तावों को धारा 2 के अंतर्गत पूर्व मंजूरी लेने प्रारूप

1	परियोजना ब्यौरे: -	
i.	उन प्रस्तावों तथा पारियोजना/स्कीम का संक्षिप्त वर्णन जिसके लिये वनभूमि अपेक्षित है	महाप्रबंधक टेलीसोनिक नेटवर्क्स प्रायवेट लिमिटेड इंदौर, छत्तीसगढ़ द्वारा कवर्धा वनमंडल के भोरमदेव अभ्यारण्य कवर्धा परिक्षेत्र के अंतर्गत धवईपानी-बंजारी तक मुख्य सड़क के समानांतर 14.380 कि.मी. 4जी ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु 0.719 हे. प्रस्तावित है। जिसमे कवर्धा वनमंडल के भोरमदेव अभ्यारण्य कवर्धा परिक्षेत्र अंतर्गत आरक्षित वनभूमि रकबा 0.414 हे., संरक्षित वनभूमि रकबा 0.305 हे. तथा राजस्व वनभूमि रकबा 0.000 हे. कुल रकबा 0.719 हेक्टर आवश्यक है।
ii.	अपेक्षित वन क्षेत्र का मदवार ब्यौरा (ऐसे अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जाना है, जो उप वन संरक्षक की श्रेणी से कम श्रेणी का अधिकारी नहीं हो) -	आरक्षित वनभूमि - 0.414 संरक्षित वनभूमि - 0.305 राजस्व वनभूमि - निरंक ऑरिज एरिया - निरंक कुल रकबा योग :- 0.719 हेक्टर
iii.	परियोजना की कुल लागत-	96 लाख
iv.	परियोजना को वनक्षेत्र में लगाने का औचित्य, तथा इसके लिये वैकल्पिक स्थानों की जांच की गई उनको दर्शाते हुए और नामंजूर करने के कारण बताएं जाये -	कबीरधाम जिले के कवर्धा वनमंडल के भोरमदेव अभ्यारण्य कवर्धा अंतर्गत धवईपानी-बंजारी तक मुख्य सड़क के समानांतर 14.380 कि.मी. के किनारे राईट ऑफ-वे (Row) अंतर्गत 4जी ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु मांग की जा रही वनभूमि सड़क राईट- ऑफ-वे के अंतर्गत पूर्व से ही व्यपवर्तित भूमि है, जिसमें पृथक से वनभूमि की आवश्यकता नहीं होगी तथा किसी भी प्रकार से वृक्षों की कटाई अथवा वन सम्पदा को हानि नहीं होगी। अन्य वैकल्पिक स्थल पर यह कार्य किए जाने से अतिरिक्त वनभूमि व्यपवर्तन की आवश्यकता होगी।
v.	वित्तीय तथा सामाजिक लाभ -	कबीरधाम जिला के निकटवर्ती क्षेत्र घने वन एवं पहाड़ियों से आच्छादित है तथा खनिज संपदा से संपन्न है। इन क्षेत्रों में 4जी ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने से लोगों के जीवन शैली में सुधार होगा तथा शासकीय राजस्व में भी वृद्धि होगी।
vi.	कुल लाभान्वित होने वाली आबादी -	कबीरधाम जिला के अंतर्गत धवईपानी-बंजारी के आसपास ग्रामवासी
vii.	सृजित रोजगार -	आवश्यकतानुसार।
2	परियोजना स्कीम का स्थान :-	
i.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश -	छत्तीसगढ़
ii.	जिला -	कबीरधाम
iii.	वन प्रभाग, वनखण्ड, कम्पार्टमेन्ट -	संलग्न है।
3	मौजूदा भूमि उपयोग सहित परियोजना /स्कीम के लिए कुल अपेक्षित भूमि का मदवार ब्यौरा-	आरक्षित वनभूमि - 0.414 संरक्षित वनभूमि - 0.305 राजस्व वनभूमि - निरंक ऑरिज एरिया - निरंक कुल रकबा - 0.719 हेक्टर

4	शामिल वनभूमि का ब्यौरा-	
i.	वन की वैधानिक स्थिति (नामत:आरक्षित/संरक्षित/अवर्गीकृत आदि)-	आरक्षित वनभूमि - 0.414 संरक्षित वनभूमि - 0.305 राजस्व वनभूमि - निरंक ऑरेज एरिया - निरंक कुल रकबा - 0.719 हेक्टर
ii.	क्षेत्र में मौजूद वनस्पति और प्राणीजगत का ब्यौरा -	लागु नहीं है।
iii.	वनस्पति की संघनता -	0.5
iv.	वृक्षों की प्रजातिवार तथा श्रेणीवार सार -	आवश्यक नहीं है।
v.	भूमि कटाव के लिए वनक्षेत्र का महत्व क्या यह गंभीर रूप से क्षरित क्षेत्र का हिस्सा (भाग) है अथवा नहीं-	आवश्यक नहीं है।
vi.	क्या यह राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य प्रकृति आरक्षित जीव मंडल, रिजर्व आदि का एक हिस्सा (भाग) है, यदि हाँ तो इसमें शामिल क्षेत्र का ब्यौरा दें। (मुख्य वन जीव अभिरक्षण की विशिष्ट टिप्पणियों को सलग्न करें)	कवर्धा वनमंडल के भोरमदेव अभ्यारण्य कवर्धा परिक्षेत्र के अंतर्गत धवईपानी-बंजारी तक मुख्य सड़क के समानांतर 14.380 कि.मी. 4जी ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु भोरमदेव अभ्यारण्य कवर्धा परिक्षेत्र का हिस्सा है, ब्यौरा निम्नानुसार है :- आरक्षित वनभूमि - 0.414 संरक्षित वनभूमि - 0.305 राजस्व वनभूमि - निरंक ऑरेज एरिया - निरंक कुल रकबा - 0.719 हेक्टर
vii.	विभिन्न प्रयोजनों के लिए परियोजना स्कीम के लिए अपेक्षित वनभूमि का मदवार ब्यौरा-	ओ.एफ.सी. केबल को भूमिगत बिछाना है। 0.719 हेक्टर भूमि का उपयोग की जानी है। आरक्षित वनभूमि - 0.414 संरक्षित वनभूमि - 0.305 राजस्व वनभूमि - निरंक ऑरेज एरिया - निरंक कुल रकबा - 0.719 हेक्टर
viii.	क्षेत्र में पाये जाने वाली दुर्लभ/संकट ग्रस्त वनस्पतियों व प्राणियों की प्रजातियां-	नहीं है।
ix.	क्या यह प्रवासी जीव जन्तु के लिए एक वास स्थल है, या उसके लिए प्रजनन भूमि का एक भाग है ?	नहीं है।
x.	प्रस्तावित क्षेत्र अन्य किसी महत्वपूर्ण क्षेत्र का हिस्सा है ?	नहीं है।
5	परियोजना के कारण विस्थापित व्यक्तियों का ब्यौरा	
i.	विस्थापित होने वाले परिवारों की कुल संख्या	निरंक
ii.	विस्थापित होने वाले परिवारों की कुल संख्या	निरंक
iii.	विस्थापित होने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों की संख्या-	निरंक
iv.	विस्तृत पुनर्वास योजना-	निरंक
6	क्षतिपूरक वन स्कीम के ब्यौरा-	
i.	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए पहचान किये गये गैर वनक्षेत्र, अवक्रमित वनक्षेत्र का ब्यौरा, निकटवर्ती वनों से इसकी दूरी हिस्से की संख्या प्रत्येक हिस्से का आकर।	आवश्यक नहीं है।

ii.	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए पहचान किये गये गैर वनक्षेत्र अवक्रमित वनक्षेत्र तथा निकटवर्ती वन सीमाओं का दर्शाने वाला मानचित्र	आवश्यक नहीं है।
iii.	रोपण की जाने वाली प्रजातियों क्रियान्वयन एजेंसी समय सूची ढाँचा आदि सहित विस्तृत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण स्कीम	निरंक
iv.	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण स्कीम के लिये कुल वित्तीय लागत	निरंक
v.	वृक्षारोपण के लिए क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु पहचान किये गये क्षेत्र कि उपर्युक्त के बारे में और प्रबंध की दृष्टि में सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण-पत्र (किसी ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाये जो की उप वन संरक्षक की श्रेणी के नीचे की श्रेणी का अधिकारी न हो)	निरंक
vi.	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिये वनेत्तर भूमि उपलब्ध न होने के बारे में मुख्य सचिव से प्रमाण पत्र	निरंक
vii.	पारिषण लाइनों के बारे में ब्यौरे केवल परिषण लाइनों के प्रस्तावों के लिये	निरंक
	a. परिषण लाइन की कुल लम्बाई	निरंक
	b. वनक्षेत्र के होकर गुजरने वाली लाइन की लम्बाई	निरंक
	c. मार्ग का अधिकार	निरंक
	d. निर्मित किये जाने वाले टॉवरों की संख्या	निरंक
	e. वनक्षेत्र में निर्मित किये जाने वाले टॉवरों की संख्या	निरंक
	f. पारिषण टॉवरो की ऊंचाई	निरंक
7	सिंचाई/वन विद्युत परियोजनाओं के (केवल सिंचाई वन विद्युत परियोजनाओं के लिए -	आवश्यक नहीं है।
i.	कुल कैचमेंट क्षेत्र	निरंक
ii.	कुल कमाण्ड क्षेत्र	निरंक
iii.	कुल जलाशय स्तर	निरंक
iv.	उच्च बाढ स्तर	निरंक
v.	न्यूनतम प्राप्ति स्तर-	निरंक
vi.	परियोजना के कैचमेंट क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र का ब्यौरा (वनभूमि, कृषि की गई भूमि, चारागाह भूमि, मानव आबादी तथा अन्य)-	निरंक
vii.	उच्च बाढ स्तर पर जलमग्न क्षेत्र	निरंक
viii.	पूर्ण जलाशय स्थल पर जलमग्न क्षेत्र	निरंक
ix.	पूर्ण जलाशय का स्तर से 2 मीटर नीचे जलमग्न क्षेत्र	निरंक
x.	पूर्ण जलाशय का स्तर से 4 मीटर नीचे जलमग्न क्षेत्र (केवल मझोली व बड़े परियोजनाओं के लिए)	निरंक
xi.	न्यूनतम निकासी स्तर से जलमग्न क्षेत्र	निरंक

xii.	विस्तृत आवाह क्षेत्र सुधार योजना-	निरंक
xiii.	कुल वित्तीय परिव्यय क्षेत्र सुधार योजना के लिए निधियों की उपलब्धता के बारे में-	निरंक
8	सड़क/रेल लाईनों के बारे में ब्यौरे-	आवश्यक नहीं है।
9	केवल सड़क/लाईनों के प्रस्तावों के लिए-	आवश्यक नहीं है।
i.	पट्टी की अपेक्षित लम्बाई, चौड़ाई और वनक्षेत्र	निरंक
ii.	सड़क की कुल लम्बाई-	निरंक
iii.	पहले बनाई जा चुंके सड़क की कुल लम्बाई-	निरंक
10	खनन प्रस्तावों के बारे में ब्यौरे (केवल खनन प्रस्तावों के लिए)	आवश्यक नहीं है।
i.	कुल खनन पट्टा क्षेत्र और आवश्यक वनक्षेत्र	आवश्यक नहीं है।
ii.	प्रस्तावित खनन पट्टे की अवधि -	आवश्यक नहीं है।
iii.	वनक्षेत्र और गैर वनक्षेत्र में प्रत्येक खनिज/कच्चे धातु का अनुमानित भण्डार	आवश्यक नहीं है।
iv.	खनिज/कच्चे धातु का वार्षिक अनुमानित उत्पादन-	आवश्यक नहीं है।
v.	खनन कार्यों की किस्म (खुली खदान/भूमिगत)	आवश्यक नहीं है।
vi.	चरणबद्ध सुधार योजना -	आवश्यक नहीं है।
vii.	जिस क्षेत्र में खनन कार्य किया जायेगा उसका प्लान-	आवश्यक नहीं है।
viii.	पट्टा संलेख की प्रति संलग्न की जायें-	आवश्यक नहीं है।
ix.	नियुक्त की जाने वाली श्रमिकों की संख्या-	आवश्यक नहीं है।
x.	निम्नलिखित के लिये अपेक्षित वनभूमि का क्षेत्रफल-	आवश्यक नहीं है।
	a. खनन-	आवश्यक नहीं है।
	b. खनिज/कच्चे धातु का भण्डारण-	आवश्यक नहीं है।
	c. अधिभार को जमा करना-	आवश्यक नहीं है।
	d. औजारों एवं मशीनों का भण्डारण-	आवश्यक नहीं है।
	e. भवनों, बिजलीघरों, कार्यशालाओं आदि का निर्माण	आवश्यक नहीं है।
	f. शहर, आवास, कॉलोनियां-	आवश्यक नहीं है।
	g. सड़क/रेल्वे मार्ग/राज्य मार्ग का निर्माण-	आवश्यक नहीं है।
	h. अपेक्षित वनक्षेत्र की पूर्ण भूमि उपयोग योजना	आवश्यक नहीं है।
xi.	परियोजना के तहत ऊपर (क) से (ज) तक उल्लेखित जिन गतिविधियों के लिये वनभूमि की मांग की गई है, उनका वनक्षेत्र से बाहर शुरु/स्थापित न किये जाने के क्या कारण है-	आवश्यक नहीं है।
xii.	खनन और सम्बन्धित गतिविधियों के परिणाम स्वरूप होने वाली सम्भावित क्षति और प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या-	आवश्यक नहीं है।
xiii.	बारहमासी नदियों के मार्गों राष्ट्रीय राजमार्गों, राष्ट्रीय उद्यानों, अभ्यारण्यों और जीव मंडल रिजर्वों के खनन की दूरी-	आवश्यक नहीं है।

xiv.	पुनः प्रयोग के लिये ऊपरी सतह मिट्टी (ऊपरी मृदा) के भण्डार की प्रक्रिया	आवश्यक नहीं है।
xv.	भूमिगत खनन कार्यों में अपेक्षित अवतलन की मात्रा और जल, वन तथा अन्य वनस्पतियों पर उसका प्रभाव	आवश्यक नहीं है।
11	लागत लाभ विश्लेषण-	
12	क्या पर्यावरण स्वीकृति/अपेक्षित है (हां/नहीं) यदि हां तो क्या उसके अपेक्षित ब्यौरे प्रस्तुत कर दिये गए हैं (हां/नहीं)	आवश्यक नहीं है।
13	क्या अधिनियम का उल्लंघन करते हुये कोई कार्य किया गया है, (हां/नहीं) यदि हां तो -	आवश्यक नहीं है।
i.	शुरू होने की तारीख सहित उसके ब्यौरे-	आवश्यक नहीं है।
ii.	अधिनियम के उल्लंघन के लिये जिम्मेदार अधिकारी-	आवश्यक नहीं है।
iii.	गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ की गई/की जा रही कार्यवाही-	आवश्यक नहीं है।
iv.	क्या अभी भी अधिनियमों का उल्लंघन करते हुए कार्य किया जा रहा है-	आवश्यक नहीं है।
14	कोई अन्य सूचना-	आवश्यक नहीं है।
15	संलग्न किये गये प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के ब्यौरे-	चेक लिस्ट अनुसार सभी दस्तावेज संलग्न हैं।
16	निम्नलिखित पहलुओं के बारे में संबंधित मुख्य वन संरक्षक वन विभाग के अध्यक्ष के विस्तृत विचार अर्थात्-	कवर्धा डिवीजन धवईपानी-बंजारी तक मुख्य सड़क के समानांतर 4जी ऑप्टिकल फायबर केबल विछाने से ग्रामीण आबादी के जलाऊ लकड़ी आपूर्ति तथा आदिवासियों और पिछड़े समुदायों के जीविकोपार्जन में किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा.
i.	इसमें सम्मिलित वन भूमि से इमारती लकड़ी, जलाने की लकड़ी, और अन्य वन उत्पाद-	इस प्रकरण में लागू नहीं है।
ii.	क्या जिला इमारती लकड़ी और जलाने की लकड़ी में आत्म निर्भर है	इस प्रकरण में लागू नहीं है।
iii.	निम्नलिखित प्रस्ताव के प्रभाव-	
a	ग्रामीण आबादी के लिये जलाने की लकड़ी की आपूर्ति	ग्रामीण आबादी के लिये जलाने की लकड़ी की आपूर्ति कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा
b	आदिवासियों और पिछड़े समुदायों की अर्थव्यवस्था और जीविका	संचार के साधन बढ़ने से आदिवासियों और पिछड़े समुदायों की अर्थव्यवस्था और जीविका में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी
iv.	कारणों सहित प्रस्ताव को स्वीकार करने या न करने के लिये मुख्य वन संरक्षक वन विभाग की विशिष्ट टिप्पणी	आवश्यक नहीं है।

प्रमाणित किया जाता है की उपरोक्तानुसार दी गई समस्त जानकारी मेरी जानकारी के अनुसार सही है तथा आवश्यक वनभूमि की मांग न्यूनतम है।

(देवेंद्र अरोड़ा)
टेलीसेनिक नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
इंदौर (मध्य प्रदेश)

वनमंडलाधिकारी
कवर्धा वनमंडल कवर्धा
जिला-कबीरघाम (छ0ग0)

वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-2

(संबंधित उप वनसंरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

पंजीयन क्रमांक-FP/CG/OFC/154844/2022

1.	परियोजना/स्कीम का स्थान	
(i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	छत्तीसगढ़
(ii)	जिला	कबीरघाम
(iii)	वनप्रभाग	कवर्धा
(iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	0.719 हेक्टेयर
(v)	वन वैधानिक स्थिति	आरक्षित, संरक्षित
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.5
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये) सिंचाई/ जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ.आर.एल.एफ. आर. एल.-2 मी. पर परिगणना और एफ. आर. एल. 4 मी. भी संलग्न किये जाये।	आवश्यक नहीं है।
(viii)	भू-क्षरण के लिए वनक्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	आवश्यक नहीं है।
(ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी।	वनक्षेत्र से गुजर रही है।
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैव मंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कॉरीडोर आदि का भाग है (यदि हां, तो क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणीयां अनुबंधित की जाये)	नहीं
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणीजगत की दुर्लभ/संकटान्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।	नहीं
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारंपरिक स्थल/ रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्त्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो तो दें।	नहीं
2	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कॉलम 2 में प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है, यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, तो दें।	हाँ, न्यूनतम है।
3	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हां/नहीं) यदि हां, तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी चल रहे हैं है।	नहीं, कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है।

4	प्रति पूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	आवश्यक है।
	(i) प्रति पूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वनक्षेत्र आस-पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्ड का आकार	आवश्यक है।
	(ii) प्रति पूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवक्रमित वनक्षेत्र और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मानचित्र।	आवश्यक है।
	(iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रति पूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यन्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढाँचा आदि।	आवश्यक है।
	(iv) प्रति पूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	आवश्यक है।
	(v) प्रति पूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वनसंरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाये)	आवश्यक है।
5	जिला वनसंरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कॉलम 7 (xi, xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें।)	आवश्यक नहीं है।
6	विभाग/जिला प्रोफाइल	
	(i) जिले का भौगोलिक क्षेत्र	4447.050 वर्ग कि.मी.
	(ii) जिले का वनक्षेत्र	1588.300 वर्ग कि.मी.
	(iii) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वनक्षेत्र।	19 प्रकरण , 1206.651 हे.
	(iv) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक (क) दण्ड के रूप में प्रति पूरक वनीकरण सहित वनभूमि।	905.540 हे. 184.000 हे.
	(ख) वनेत्तर भूमि पर।	
	(v) वर्ष 2015-2016 तक प्रति पूरक वनीकरण में हुई प्रगति (क) वनभूमि।	905.540 हे. 184.000 हे.
	(ख) वनेत्तर भूमि पर।	
7	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के संबंध में उप-वनसंरक्षक की विशेष सिफारिश।	अनुशंसा की जाती है।

दिनांक :

स्थान : कवर्धा

TELESONIC
(दिवेंद्र अरोड़ा)
टेलीसेनिक नेटवर्क्स प्रायवेट लिमिटेड
इंदौर (मध्य प्रदेश)

यू.डामणि सिंह
(भा.व.से.)

वनमंडलाधिकारी
कवर्धा वनमंडल कवर्धा
जिला-कबीरघाम (छ0ग0)